28.07.17

आवेदक द्वारा अधि. श्री प्रवीण गुप्ता उपस्थित। राज्य द्वारा एजीपी उपस्थित।

आवेदक अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा आवेदक जगदीश पंडा की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 438 जा.फो. पर बल नहीं देना व्यक्त किया गया है। अतः आवेदक की ओर से आवेदन बल न देने के कारण प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

परिणाम पंजी में दर्ज हो। प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर सत्र न्यायाधीश गोहद